भर्ती नियमः

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियमावली, 1958 के उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 में दिए गए उपबंधों के अनुसार भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के ग्रुप 'क' तथा ग्रुप 'ख' पदों से संबंधित भर्ती नियमों को बनाने के लिए आयोग की सलाह लिया जाना अपेक्षित है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आदि के कुछ पदों / श्रेणियों के कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में भर्ती नियम बनाने, संशोधन करने के लिए भी अनुच्छेद 321 के उपबंधों के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए संगत अधिनियमों के अंतर्गत आयोग की सलाह लेना अनिवार्य है।

भर्ती नियम सांविधिक प्रकृति के होते हैं और उनका मुख्य उद्‌देश्य, किसी संगठन से जुड़े किसी पद से संबंधित दायित्वों तथा कार्यों को ध्यान में रखते हुए, संगत अनुभव, शैक्षिक योग्यताएं, निर्धारित करके भर्ती की समुचित पद्धति अपनाते हुए सर्वोत्तम उपयुक्त उम्मीदवार को किसी पद विशेष के लिए नियुक्त/चयन करना है। संवैधानिक उपबंधों के अनुसार भर्तियां अथवा चयन की निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भर्ती नियम प्रभावशाली तथा अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण होते हैं। भर्ती नियम बनाने / संशोधन करने के लिए सभी प्रस्तावों की जांच संगठन की संवर्ग संरचना तथा भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जाने वाले दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। अनुमोदन के बाद कथित मामलों में आयोग की सलाह संबंधित मंत्रालय/विभाग को भेज दी जाती है।

हाल ही में सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है जिसके परिणामस्वरूप पुराने वेतनमान के स्थान पर वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन ने जगह ले ली है। इस संबंध में 24.3.2009 को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने का.ज्ञा. सं. ए.बी. 14017/61/2008–स्था.(भ.नि.) के तहत अनुदेश जारी किए हैं। उक्त विस्तृत कार्यालय ज्ञापन लिंक 'परिपत्र' के अंतर्गत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग की वैबसाइट अर्थात् www persmin nic.in पर उपलब्ध है।

संगठन की तेजी से परिवर्तित होती आवश्यकताओं के अनुरूप भर्ती नियमों को संगत बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर इनकी समीक्षा किया जाना आवश्यक है:

किसी कार्य के लिए सर्वोत्तम उम्मीदवार के चयन के लिए यह अनिवार्य है कि भर्ती नियमों का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव को तैयार करते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए:

(i) शैक्षिक योग्यताएं इस ढंग से निर्धारित की जानी चाहिए कि वे विस्तृत तथा स्पष्ट हों और उस पद से जुड़े कार्यों तथा दायित्वों के भी अनुरूप हों जिनके लिए भर्ती नियमों को सूत्रबद्ध किया जाना है।

(ii) मौटे तौर पर भर्ती की 7 प्रचलित पद्धतियां हैं अर्थात् पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, विलयन, अल्पकालीन संविदा (आई.एस.टी.सी.), सीधी भर्ती, पुनर्रोजगार तथा संयुक्त पद्धति अर्थात् बाहरी उम्मीदवारों के प्रतिनियुक्ति आधार के साथ–साथ विभागीय उम्मीदवार की पदोन्नति के बारे में विचार करना। भर्ती पद्धति की अनुशंसा संवर्ग की संरचना तथा संस्वीकृत पदों की संख्या फीडर ग्रेड तथा पद के पदोन्नति ग्रेड, जिसके लिए भर्ती, नियम बनाए जाने हैं को ध्यान में रखकर की जानी चहिए। लिंक 'प्रकाशन में, अपनी वैबसाइट www persmin nic.in में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने भर्ती नियम तथा सेवा नियम बनाने के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देशों की एक पुस्तिका जारी की है।

(iii)ऐसे भी उदाहरण हो सकते हैं जब भर्ती का तरीका प्रतिनियुक्ति के साथ–साथ पदोन्नति को मिलाकर अपनाया गय हो और जिसके असफल रहने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा या दोनों के असफल रहने पर सीधी भर्ती का तरीक अपनाया गया हो। ऐसे मामलों में यह अनिवार्य है कि यदि प्रतिनियुक्ति तथा / अथवा सीधी भर्ती के आधार पर पद को भरे जाने के लिए उच्च शैक्षिक योग्यताएं निर्धारित किया जाना प्रस्तावित हो तो उन विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के लिए विचार करते समय उन्हें यथोचित तथा न्याय संगत संरक्षण दिया जाए। भर्ती नियमों के लिए 14 कॉलम अनुसूची का एक नमूना प्रपत्र सूचना हेतु नीचे दिया गया है।

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पद का वेतनमान	क्या चयनित या गैर चयनित पद है?	क्या सेवा से जुड़े वर्षों का लाभ स्वीकार्य है?	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा

8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती के मामले में लागू होने वाली निर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएं पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती का तरीका, क्या सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा प्रति–नियुक्ति द्वारा/विलियन तथा विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	यदि भर्ती पदोन्नति/प्रति–नियुक्ति समामेलन द्वारा भर्ती के मामले में पदोन्नति/प्रति–नियुक्ति समामेलन किस ग्रेड से किया जाना है?	यदि विभागीय पदोन्नति/समिति प्रचलन में है तो इसकी संरचना क्या है?	उस परिस्थिति का विवरण दें जिसके लिए सं.लो.से.आ. से भर्ती के लिए परामर्श लिया जाना है।

किसी भी पद के लिए भर्ती नियमों के संशोधन/बनाने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए उपर्युक्त प्रारूप का पालन किया जाए।